राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकः आईपीआई (अ)/राउस/15–16/1345 1817
दिनांकः 04 नवम्बर, 2016

परिपत्र

विषय :–राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 58 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 से संबंधित पीयूसी 2014–15 का 26वॉ प्रतिवेदन) की सिफारिश संख्या 4 अनुच्छेद संख्या 2.2.17 के संबंध में।

रीको द्वारा राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि अवाप्ति एवं कब्जा लिए जाने के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर मौके पर अवाप्त भूमि के अनुसार सीमांकन का कार्य किया जाता है। सीमांकन का कार्य सही तरीके से नहीं होने पर भविष्य में निगम द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर कब्जे की आशंका रहती है। राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 58 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 से संबंधित पीयूसी 2014–15 का 26वॉ प्रतिवेदन) की सिफारिश संख्या 4 अनुच्छेद संख्या 2.2.17 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन नहीं होने को गम्भीरता से लिया गया है। समिति द्वारा लिए गए आक्षेप के संबंध में समय–समय पर निगम प्रबन्धन द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के भौतिक सत्यापन, सीमांकन एवं डिमार्केशन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। निगम प्रबन्धन की जानकारी में यह आया है कि इकाई कार्यालयों द्वारा भूमि अवाप्ति के पश्चात अवाप्तशुदा भूमि के भौतिक सत्यापन, सीमांकन एवं डिमार्केशन का कार्य सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है।

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2015–16 के 58 वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 से संबंधित पीयूसी 2014–15 का 26वॉ प्रतिवेदन) की सिफारिश संख्या 4 अनुच्छेद संख्या 2.2.17 के द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में निर्देशित कर पुनः लेख है कि भूमि अवाप्ति के पश्चात अवाप्तशुदा भूमि का मौके पर सीमांकन करते हुए डिमार्केशन पिलर्स लगवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त निर्देश प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(विजय पाल सिंह)
सलाहकार (इन्फ्रा)

कृ.प.उ.